संख्या-22/2430/26-3-2014-4(215)/90-टी0सी0-III

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 16 दिसम्बर, 2014

विषयः- कक्षा 9-10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय छात्रवृत्ति हेतु अन्य प्रक्रियात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्गत समय-सारिणी में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सी-4847/स0क0/शिक्षा-अ/2014-15, दि0-15.12.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शैक्षिक सत्र 2014-15 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना की प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु शासनादेश संख्या-966/26-3-2014-4(215)/90-टी0सी0-I, दिनांक 20.06.2014 एवं शासनादेश संख्या-2354/26-3-2014-4(215)/90-टी0सी0-I, दिनांक 04.12.2014 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश/समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

3. निदेशालय, समाज कल्याण के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शैक्षिक सत्र 2014-15 में पूर्वदशम कक्षाओं(9-10) हेतु निर्गत समय-सारिणी को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क्र.स.	प्रकियात्मक कार्यवाही	पूर्व निर्धारित तिथि	नवीन तिथि
1	जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों द्वारा आवश्यकता के अनुरूप आय प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद जनपद स्तरीय समिति से संशोधित कराकर डाटा लॉक करने की अन्तिम तिथि	15 दिसम्बर 2014	26 दिसम्बर, 2014
2	राज्य स्तर पर मॉग सृजित करने की अन्तिम तिथि	25 दिसम्बर 2014	08 जनवरी 2015
3	पी0एफ0एम0एस0साफ्टवेयर से छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति अन्तरण की अन्तिम तिथि	10 जनवरी, 2015	31 जनवरी 2015

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

4. उक्त शासनादेश दिनांक 20.06.2014 एवं दिनांक 04.12.2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष अंश यथावत रहेगा।

भवदीय,
सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या-2430(1)/26-3-2014 तददिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्यारण/अल्प संख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/माध्यमिक शिक्षा विभाग/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा उक्त शासनादेश की प्रति प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को ई-मेल से तत्काल प्रेषित कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in